



( डिक्री )

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
राजस्व लोक अदालत

उनवान

अर्जुनलाल पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी कासपुरियां तहसील नैनवा जिला बून्दी

-वादी

बनाम

- 1.रंगलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 2.मोहनलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 3.रूपनारायण पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 4.हरनारायण पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 5.रामकरण पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 6.पुष्पा पुत्री गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 7.मनभर पुत्री गोविन्दा जाति मीना निवासी बोसरियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- 8.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
- 9.बैंक आफ बडोदा शाखा सूथडा जरिय शाखा प्रबन्धक

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत उदघोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा**  
मुकदमा नम्बर :- 126 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री ग्यारसा प्रतिवादीगण की और से तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 03.06.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 51 रकबा 0.03 है0 गे0मु0 चाह तथा ख0न0 52 रकबा 0.60 है0 मे से 0.15 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0न0 52 के शेष रकबा 0.45 है0 को सिवायच कमे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करे फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 07 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक